[2018] एस. सी. आर. 457

सिद्दगंगैया (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी वी.

एन. के. गिरिराज शेट्टी (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी

(2018 की सिविल अपील संख्या 5007)

11 मई, 2018

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

Or.XXI r.90, आर/डब्ल्यू एस।47-प्रतिवादी नं. 47 से वाद संपत्ति की खरीद के आधार पर दायर स्वामित्व और घोषणा के लिए वाद।1-प्रतिवादी सं। 2 जो प्रतिवादी नं. 2 की पत्नी है। 1 ने तर्क दिया कि प्रतिवादी नं। 1 वादी को वाद संपत्ति नहीं बेच सकती थी क्योंकि उसने एक रखरखाव मुकदमे में वाद संपत्ति पर आरोप प्राप्त किया था-उसका मामला यह था कि उसके पति ने वादी के साथ मिलीभगत से एक नाममात्र और काल्पनिक बिक्री विलेख का आयोजन किया था और उक्त बिक्री विलेख को रखरखाव मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किया गया था और इस प्रकार, एस द्वारा मारा गया था।टी. पी. अधिनियम का 52-उक्त मुकदमा अंततः उसके पक्ष में आयोजित किया गया और उसने डिक्री प्राप्त की और संपत्ति की नीलामी की गई और अदालत की नीलामी में उसके द्वारा सफलतापूर्वक खरीदी गई-प्रतिवादी संख्या। 1 ने Or.XXI के तहत आवेदन दायर किया,आर. 90 और वादी ने भी एस के तहत एक आवेदन दायर किया।47 आर/डब्ल्यू Or.XXI,आर. 90 बिक्री को अलग रखने के लिए-प्रतिवादी सं.1 को खारिज कर दिया गया क्योंकि दबाव नहीं डाला गया था-बिक्री को अलग रखने के लिए वादी द्वारा आवेदन को भी उपस्थिति की चूक में खारिज कर दिया गया था और बिक्री की पुष्टि की गई थी-प्रतिवादी नं।2 ने वाद संपत्ति को अपीलार्थी-प्रतिवादी नं.3-वादी Or.XXI के तहत आवेदन दायर करने के तथ्य को दबाते हुए,आर. 90 और इसकी बर्खास्तगी ने स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया-क्या मुकदमा Or.XXI के तहत आवेदन की बर्खास्तगी को देखते हुए रेस जुडिकाटा के सिद्धांत से प्रभावित था,आर 90 आर/डब्ल्यू एस। 47-आयोजितःजहाँ Or.XXI के तहत आवेदन दायर किया गया है,आर 90 सामग्री अनियमितता के आधार पर एक बिक्री को अलग रखने के लिए, और आर के तहत बिक्री की पुष्टि की जाती है।Or.XXI का 92 (1), आक्षेपकर्ता Or.XXI के तहत प्रावधानों के आधार पर वर्जित है,आर. 92 (3) उसी आधार पर बिक्री को अलग रखने के लिए मुकदमा लाने से-

प्रतिवादी सं.2 (डिक्री-धारक) ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी-वादी द्वारा बिक्री की पुष्टि पर सवाल नहीं उठाया गया था-इस प्रकार, नहीं

राहत दी जा सकती थी-पहले के आदेशों ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और इसलिए, नए मुकदमे के मनोरंजन के लिए एक बार के रूप में संचालित किया गया था-जहां तक मुकदमे के प्रश्न का संबंध है, वादी द्वारा मुकदमे की संपत्ति की खरीद की तारीख पर, प्रतिवादी नं।2 लंबित था-इस प्रकार, एस में निहित प्रावधान।52 स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होगा-स्वामित्व के लिए मुकदमा और खारिज किए जाने योग्य घोषणा-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 -धारा 52-लिस पेंडेंस-रेस जुडिकाटा का सिद्धांत।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1** आदेश **21** नियम **90** के उप**-**नियम **(1)** में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी डिक्री के निष्पादन में किसी अचल संपत्ति को बेचा गया है**,** तो डिक्री धारक या खरीदार या संपत्ति के अनुमोदन योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार कोई अन्य व्यक्ति**,** या जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं**,** उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।जैसा कि आदेश **XXI** के नियम **90** के उप**-**नियम **(2)** में केवल अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर प्रदान किया गया है**,** बिक्री को तब तक अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण आक्षेपकर्ता को पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ है और ऐसी आपत्ति वह होनी चाहिए जो उस तारीख से पहले नहीं उठाई जा सकती थी जिस दिन बिक्री की घोषणा की गई थी जैसा कि आदेश **XXI** नियम **90** उप**-**नियम **(3)** में प्रदान किया गया है और केवल दोष या संपत्ति की कुर्की का अभाव बिक्री को अलग करने का आधार नहीं होगा। यह साबित करना आवश्यक है कि जहां धोखाधड़ी या भौतिक अनियमितता हुई है और जिससे अन्याय हुआ है**,** वहां काफी नुकसान हुआ है।वर्तमान मामले में**,** आदेश **XXI** नियम **90** के तहत आवेदन मूल वादी द्वारा दायर किया गया था जिसे उपस्थिति में चूक के लिए खारिज कर दिया गया था।फिर भी यह इस तरह से दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।यह मामला स्थापित नहीं किया गया था कि रखरखाव के मामले में पारित डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी और इससे काफी नुकसान हुआ है।

राजेंद्र सिंह बनाम रामधर सिंह और अन्य। आकाशवाणी 2001

एससी **2220-**पर भरोसा किया।

1. 2 जहां नियम **90** आदेश **XXI** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत सामग्री ए के आधार पर बिक्री को अलग करने के लिए आवेदन दायर किया गया है। अनियमितता**,** और बिक्री की पुष्टि आदेश

XXI के नियम **92 (1)** के तहत की जाती है**,** आक्षेपकर्ता को आदेश **XXI** नियम **92 (3)** के तहत प्रावधानों के आधार पर उसी आधार पर बिक्री को अलग करने के लिए मुकदमा लाने से रोक दिया जाता है।**[**पैरा **24] [470-**जी**]**

ब्रह्मय्या बनाम अप्पय्या, (1921) 44 मैड। 351:62 आईसी 203:एयर 21 पागल। 121, मा सॉ बनाम माउंग क्याव एयर

28 रंग **18;** नंद किशोर बनाम सुल्तान एयर **1926** लाह

165-स्वीकृत।

जब नीलामी खरीदार स्वयं डिक्री धारक होता है और जब नियम **90** के अंतर्गत आने वाले आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर बिक्री को अलग रखने के लिए आवेदन किया जाता है और नियम **89** के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है**,** तो मामला धारा **47** के तहत आएगा।इस प्रकार**,** यह उन आधारों पर निर्भर करेगा जिन पर आवेदन में आग्रह किया गया है। आदेश **XXI,** नियम **90** के तहत भौतिक अनियमितता के आधार पर बिक्री को अलग करने के दावे में शामिल होने की अनुमति है**,** जिसमें धारा **47** के तहत दावा किया गया है कि बिक्री एक शून्य है क्योंकि डिक्री निर्णय**-**देनदार की मृत्यु के बाद पारित की गई थी।मृत निर्णय के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति**-**ऋणी कि भूमि पैतृक संपत्ति थी और बिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं थी**,** आदेश **XXI** नियम **90** के साथ पठित धारा **47** के तहत उठाई जा सकती है।हालाँकि**,** यह आपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि क्या यह आदेश **XXI** सी**.** पी**.** सी**.** के नियम **90** के तहत शामिल था या नहीं।आदेश **XXI** नियम **90** के तहत दायर चूक के लिए खारिज की गई याचिका की बहाली हो सकती है और उसके बाद यदि बिक्री की पुष्टि हो गई है**,** तो आदेश **XXI** नियम **92 (3)** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नियम **92 (1)** के तहत दिए गए आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई भी मुकदमा किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जाएगा जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।आदेश **XXI** नियम **92 (1)** में प्रावधान है कि जहां आदेश **XXI** नियम **89,90** या **91** के तहत एक आवेदन दायर किया गया है**,** उसे अस्वीकार कर दिया गया है**,** तो अदालत बिक्री की पुष्टि करते हुए एक आदेश देगी और उसके बाद बिक्री निरपेक्ष हो जाएगी**,** और कोई भी मुकदमा आदेश **XXI** सी**.** पी**.** सी**.** के नियम **92** के उप**-**नियम **(3)** के अधिदेश के अनुसार नहीं होगा**,** जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश या तो किया जा सकता है जहां बिक्री को अलग करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां कोई आवेदन किया गया है और इसकी अनुमति नहीं है**,** वह यह हो सकता है कि इसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया हो।बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश को दरकिनार करने के लिए किसी भी मामले में कोई मुकदमा नहीं होगा।ए को अलग रखने से इनकार बिक्री एक अपील योग्य आदेश है।यदि अदालत ने किसी बिक्री को दरकिनार कर दिया है या उसे दरकिनार करने से इनकार कर दिया

है जिसमें एक ऐसा मामला शामिल होगा जिसमें आदेश **XXI** नियम **89,90** या **91** के तहत एक आवेदन को चूक के लिए खारिज कर दिया गया है।**[**पैरा **25] [471-**ए**-**एफ**]**

सुपीरियर बैंक लिमिटेड बनामबुध सिंह, (1924) 22 ऑल एलजे 413; अक्षिया बनाम गोविंदराजुलु (1924) 47 एमएलजे 549 -

स्वीकृत किया गया।

2. 1 तत्काल मामले में मूल वादी द्वारा धारा **47** के साथ पठित आदेश **XXI,** नियम **90** के तहत इस आधार पर एक आवेदन दायर किया गया था कि वह उस भूमि का मालिक था जिसे दिनांक **9.11.1974** के बिक्री विलेख द्वारा **Rs.10,000/-** की राशि के लिए खरीदा गया था और उसे कब्जे में रखा गया था।उन्हें अदालत की बिक्री के बारे में पता नहीं था।नीलामी आयोजित होने से पहले ढोल की बजाई नहीं होती थी।उन्हें फांसी की कार्यवाही के बारे में पता नहीं था।वह मूल्य के लिए एक खरीदार था।संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया गया था।बिक्री के संचालन में भौतिक अनियमितताएं थीं।नीलामी की पुष्टि होने पर कठिनाई होगी।इस प्रकार**,** नीलामी बिक्री को अलग रखने की प्रार्थना की गई।उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था।इस प्रकार**,** आदेश **XXI** नियम **92 (3)** जमीन पर ताजा सूट के मनोरंजन के लिए एक बार के रूप में काम करेगा।

2. 2 वादी ने वाद में अदालती नीलामी बिक्री और पुष्टि के तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया है और कोई दावा नहीं किया है कि उसने आदेश **XXI** नियम **90 (1)** के तहत एक आवेदन दायर किया था और इसे **31.3.1978** पर खारिज कर दिया गया था**,** जबकि आपत्ति को खारिज करने और बिक्री की पुष्टि के **19** दिनों के बाद **19.4.1978** पर मुकदमा दायर किया गया था।वादी ने धोखाधड़ी या किसी भौतिक अनियमितता के आधार पर अदालत द्वारा आयोजित नीलामी पर सवाल नहीं उठाया है।उन्होंने खुद को एक प्रामाणिक खरीदार होने का दावा किया है।यह याचिका आदेश **XXI** नियम **90** के तहत दायर आवेदन में भी उठाई गई थी।उसी को खारिज करने से वह एक नया मुकदमा दायर करने से वंचित हो जाएगा**,** यह उसके लिए अनिवार्य था कि वह नए सूट के मनोरंजन के लिए आवश्यक किसी भी अनुमेय आधार पर अदालत की नीलामी पर सवाल उठाए**,** लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।आदेश **VI** नियम **4** सी**.** पी**.** सी**.** में प्रावधान है कि धोखाधड़ी**,** गलत निरूपण और मिलीभगत की याचिका को अभिवचनों में विशेष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए**,** इससे पहले कि उस पर कोई निष्कर्ष दिया जा सके।याचिका की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो स्वयं नहीं लिया गया था**,** इसमें न तो ए है प्रमाणित किया गया।इस प्रकार**,** प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस प्रकार आयोजित अदालती नीलामी में डिक्री धारक और निर्णय देनदार की धोखाधड़ी और मिलीभगत के संबंध में निष्कर्ष देकर घोर अवैधता की है। डिक्री धारक द्वारा की गई नीलामी खरीद को अंतिम रूप मिल गया था।वादी द्वारा बिक्री की

पुष्टि पर सवाल नहीं उठाया गया था।इस प्रकार, कोई राहत नहीं दी जा सकती थी और पहले के आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं और नए सूट के मनोरंजन के लिए एक बाधा के रूप में काम करते हैं।

2. 3 लीस पेंडेंस के सवाल पर आते हुए, डिक्री धारक ने **1968** में अन्य बातों के साथ-साथ विचाराधीन संपत्तियों पर रखरखाव का प्रभार बनाने के लिए मुकदमा दायर किया था।टी. पी. अधिनियम की धारा **52** के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही की लंबितता को वाद प्रस्तुत करने की तारीख से शुरू माना जाएगा।इस प्रकार, **9.11.1974** पर बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख को, डिक्री-धारक द्वारा दायर मुकदमा लंबित था।इस प्रकार, धारा **52** में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होंगे।

नागुबाई अम्मल और अन्य बनामबी. शमा राव और अन्य।

ए. आई. आर. **1956** एस. सी. **593-**पर निर्भर था।

3. टी. पी. अधिनियम की धारा **39** स्पष्ट रूप से बताती है कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा धारण की गई अचल संपत्ति के खिलाफ रखरखाव का प्रभार लागू किया जा सकता है।तत्काल मामले में, हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति के कब्जे में नहीं रखा गया था जो प्रतिवादी संख्या **1** की शिकायत और कब्जे से स्पष्ट है।यह बिक्री भी उचित नहीं लग रही है।यह स्पष्ट था कि भरण-पोषण के लिए पत्नी के दावे को विफल करने के इरादे से कब्जा नहीं सौंपा गया था।वादी का मामला कि हालांकि बिक्री विलेख **1974** में निष्पादित किया गया था, प्रतिवादी संख्या **1** ने फिर से **1976** में जबरन कब्जा कर लिया, स्वीकृति के योग्य नहीं है।इसके अलावा आदेश **XXI** नियम **90** के तहत आवेदन में यह अनुरोध नहीं किया गया है कि वह **9.11.1974** पर बिक्री विलेख के निष्पादन के समय मुकदमे के लंबित होने के बारे में नहीं जानता था।वह प्रतिवादी नंबर **1** का करीबी दोस्त था और स्पष्ट रूप से **1968** से लंबित मुकदमेबाजी के तथ्य से अवगत था।इस प्रकार, उन्हें एक प्रामाणिक खरीदार नहीं कहा जा सकता था।इसके अलावा, उक्त याचिका वाली धारा **47** सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश **XXI** नियम **90** के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।

साधु सिंह बनाम गुरुद्वारा साहिब नरीके और अन्य। **(2006)**

8 एस.सी.सी. **75-**लागू नहीं होता है।

नानी गोपाल पॉल बनाम टी. प्रसाद सिंह और अन्य। **(1995) 3** एस. सी. सी. **579;** लाल चंद बनाम आठवीं एडिशनल।जिला न्यायाधीश और

ओआरएस। (1997) 4 एस. सी. सी. 356-संदर्भित।

4. 1 तत्काल मामले में, पति और पत्नी के बीच निष्पादन कार्यवाही में किए गए ब्याज के साथ अलग होने के बाद कोई स्वीकार नहीं किया जाता है।नीलामी अदालत द्वारा कानून के अनुसार आयोजित की गई थी।यह मामला स्थापित नहीं किया गया था कि रखरखाव मुकदमे में

पारित डिक्री धोखाधड़ी या मिलीभगत पर आधारित थी।न ही डिक्री के निष्पादन में संपत्तियों की नीलामी के संबंध में ऐसा कोई मामला स्थापित किया गया था।इसके विपरीत**,** पति ने भरण**-**पोषण मामले में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील की थी**,** जिसे गुण**-**दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था।**[**पैरा **40] [476-**जी**-**एच**; 477-**ए**]**

4. 2 ब्याज के साथ अलग होने के बाद**,** अलग किए गए ब्याज के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं है**,** साक्ष्य अधिनियम की धारा **18** तत्काल मामले की तथ्य**-**स्थिति में आकर्षित नहीं होती है।**5.8.1978** पर पति और पत्नी के बीच किए गए तथाकथित समझौते को दोनों में से किसी ने भी सेवा में नहीं लगाया है और पति और पत्नी दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया है।उन्होंने एक मामला स्थापित किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा इसके आधार पर कोई दावा किया गया था।यदि ऐसा होता तो साक्ष्य अधिनियम की धारा **18** के प्रावधानों को आकर्षित किया जाता।**[**पैरा **40] [477-**एफ**-**जी**]**

वी. स्वराजलक्ष्मी और अन्य बनामअधिकृत अधिकारी, भूमि

सुधार, एआईआर 2003 एससी 2347:[2003] 3 एस. सी. आर. 575-लागू नहीं होता।

मामला कानून संदर्भ

(1995) 3 एस**.** सी**.** सी**. 579** पारस **21,37** ए**.** आई**.** आर**. 2001** एस**.** सी**. 2220** पैरा **23 (1921) 44** मैड पर निर्भर था। **351** अनुमोदित पैरा **24** ए**.** आई**.** आर**. 1926** लाह **165** अनुमोदित पैरा **24 (1924) 22** सभी एल**.** जे**. 413** अनुमोदित पैरा **25 (1924) 47** एम**.** एल**.** जे**. 549** अनुमोदित पैरा **25** ए

ए**.** आई**.** आर**. 1956** एससी **593**

उस पर भरोसा करें

पैरा **29**

(2006) 8 एससीसी **75**

अप्रयोज्य पैरा **35 (1997) 4** एस**.** सी**.** सी**. 356** पैरा **39 [2003] 3** एस**.** सी**.** आर**. 575** को संदर्भित अप्रयोज्य पैरा **41**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 5007।

2011 की नियमित दूसरी अपील संख्या 2633 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.12.2014 के निर्णय और आदेश से।राजू राम चंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जोसेफ पुक्कट्ट, शेषगिरी राव, धवेश पहुजा, मेसर्स ए. पी. एंड जे. चैम्बर्स, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए। एस. एस. नागानंद, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्याम कौंडिन्य, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. 1.अनुमति दी गई

2. प्रतिवादी द्वारा अपील की गई है।बैकड्रॉप तथ्यों से संकेत मिलता है कि सिद्दगिरीगौड़ा की एक थोपम्मा पत्नी ने प्रति माह Rs.300 की दर से रखरखाव भत्ता देने और शिकायत अनुसूची में उल्लिखित 13 संपत्तियों पर आरोप लगाने के लिए मुन्सिफ, डोड्डाबल्लापुर की अदालत में अपने पति के खिलाफ ओएस No.245/1968 मुकदमा दायर किया।मुकदमा 17.1.1968 पर दायर किया गया था।उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कहा गया कि थोपम्मा के पति सिद्दगिरीगौड़ा ने 5 एकड़ 18 गुंटा के सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के संबंध में 18 गुंटा, आइटम संख्या 10 और 13 को मापते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता शेट्टी के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया।6.2.1975 पर, सिद्धगिरीगौड़ा द्वारा संपत्तियों के कब्जे की डिलीवरी के संबंध में खरीदार के पक्ष में कब्जा सौंपने की घोषणा को निष्पादित किया गया था।

3. 1968 के थोपम्मा यानी ओ. एस. No.245 द्वारा दायर मुकदमे को 24.6.1976 पर आदेश दिया गया था, जो कि Rs.100 प्रति माह का रखरखाव भत्ता प्रदान करता है, जो शिकायत दायर करने की तारीख से उसके पति से वसूली योग्य है, जब तक कि मुकदमा अनुसूची की संपत्तियों पर वसूली और आरोप नहीं लगाया जाता है, जिसमें वह संपत्ति भी शामिल है जिसे एन. के. गिरिराज शेट्टी को 9.11.1974 पर बेचा गया था।उसी के खिलाफ पहली अपील 1.9.1976 पर गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी।

4. जैसे ही डिक्री संतुष्ट नहीं हुई, डिक्री धारक तोपम्मा ने उपरोक्त मुकदमे में पारित रखरखाव के डिक्री को लागू करने के लिए एक निष्पादन याचिका दायर की।आई. डी. 1 पर, थोपम्मा ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के आदेश XXI नियम 72 के तहत अदालत में एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा करके निष्पादन मामले में अदालत द्वारा संपत्तियों की नीलामी के समय बोली लगाने की अनुमति दी गई।निष्पादन अदालत ने थोपम्मा को रखरखाव राशि निर्धारित करके वस्तु Nos.1,7,8 और 13 के संबंध में बोली लगाने की अनुमति दी।रखरखाव बकाया Rs.11,600/- तक जमा हो गया था।

5. 5.10.1977 पर, अनुसूची संपत्तियों की नीलामी आयोजित की गई और तोपम्मा ने Rs.10,185/- के लिए वस्तु Nos.1,7,8 और 13 खरीदी।

6. सिद्दगिरीगौड़ा ने 16.11.1977 पर आदेश XXI नियम 90 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया।प्रत्यर्थी नंबर 1 के पिता, एन. के. गिरिराज शेट्टी ने भी 5.10.1977 पर आयोजित बिक्री को अलग करने के लिए आदेश XXI नियम 90 सीपीसी के साथ पठित धारा 47 के तहत एक आवेदन दायर किया।5.1.1978 पर सिद्दगिरीगौड़ा और तोपम्मा के बीच समझौता विलेख निष्पादित किया गया था जिसके द्वारा वस्तु Nos.13,5,10 और 12 ओ. एस. में. 1968 का No.245 और खसरा No.12 (घर) तोपम्मा को आवंटित किया गया था।हालांकि, विलेख के आधार पर कोई ब्याज का दावा नहीं किया गया था, और इसके निष्पादन को पक्षकारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

7. 31.3.1978 पर, सिद्दगिरीगौड़ा द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि आदेश XXI नियम 90 के तहत दबाव नहीं डाला गया था, जबकि एन. के. गिरिराज शेट्टी द्वारा निष्पादन मामले में बिक्री को अलग करने के लिए दायर आवेदन को उपस्थिति के चूक में खारिज कर दिया गया था और बिक्री की पुष्टि थोपम्मा के पक्ष में की गई थी।

8. एन. के. गिरिराज शेट्टी ने धारा 47 के साथ पठित आदेश 21 नियम 90 के तहत आवेदन दायर करने के तथ्य को दबाते हुए और इसे खारिज करते हुए सिविल जज, (जूनियर डिवीजन), नेलमंगला के न्यायालय में अधिकार की घोषणा और कब्जे की बहाली के लिए 1978 का मुकदमा दायर किया।बाद में मुकदमे को 1989 के ओ. एस. No.85 के रूप में बदल दिया गया।हालांकि, निष्पादन अदालत द्वारा 1.1.1979 पर तोपम्मा के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था और 29.1.1979 पर कब्जे का प्रमाण पत्र और कब्जा उसे सौंप दिया गया था।

9. वादी, एन. के. गिरिराज शेट्टी ने ओ. एस. नं. में कहा। 1989 का No.85 कि उन्होंने 9.11.1974 पर Rs.10,000/- की राशि के लिए संपत्ति खरीदी थी।कब्जा भी दिया गया था, पहाड़ियों में प्रविष्टियां की गई थीं, वह 1976 तक कब्जे में रहे।इसके बाद, ए.

प्रतिवादी ने वर्ष 1976 में उसे बेदखल कर दिया।प्रतिवादी ने कब्जा सौंपने का वादा किया क्योंकि वादी ने कोई कार्रवाई नहीं की।हालाँकि, उन्होंने अपनी पत्नी के पक्ष में 5.1.1978 पर समझौता पत्र किया, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था।उपाधि वादी के पास बनी रही। उन्होंने अच्छे मुनाफे के लिए भी प्रार्थना की।वादी ने बाद में वाद में संशोधन किया और कहा कि प्रतिवादियों ने इस तथ्य को दबाकर कि 1968 के ओ. एस. No.245 में संपत्तियों पर रखरखाव का प्रभार था, संपत्ति खरीदने के लिए वादी को भारी राशि का निवेश करने के लिए मजबूर करने में एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की है।वह मूल्य के लिए संपत्ति का एक प्रामाणिक खरीदार था।वादी ने इस घोषणा के लिए प्रार्थना की कि वह अनुसूचित संपत्तियों का पूर्ण मालिक है, कब्जे और अपने लाभ की बहाली के लिए भी प्रार्थना की।सर्वेक्षण Nos.11 और 68/1 क्रमशः 5 एकड़ 39 गुंटा और 18 गुंटा के संबंध में एक मुकदमा दायर किया गया था।

10. सिद्दगिरीगौड़ा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित बयान में, यह तर्क दिया गया था कि 9.11.1974 दिनांकित बिक्री विलेख संपार्श्विक प्रतिभूति पर निष्पादित एक नाममात्र बिक्री विलेख था और Rs.10,000/- की राशि वादी से उधार ली गई थी, सिद्धगिरीगौड़ा ने अपने और पत्नी तोपम्मा के बीच 5.1.1978 दिनांकित निपटान विलेख के निष्पादन से इनकार किया।1968 के ओ. एस. No.245 में संपत्तियों पर एक आरोप था जो घोषित किया गया था और भूमि का कब्जा कभी भी वादी को नहीं दिया गया था।

11. थोपम्मा, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने लिखित बयान में शिकायत के दावे से इनकार किया और तर्क दिया कि अनुसूचित संपत्ति सिद्दगिरीगौड़ा के संयुक्त परिवार की है, उसने दिनांकित 5.1.1978 के निपटान विलेख के निष्पादन से इनकार किया और कहा कि यह उस पर बाध्यकारी नहीं था।उसने उक्त निपटान विलेख के तहत वाद अनुसूची संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया।यह तर्क दिया गया था कि 1968 का रखरखाव मुकदमा ओ.

एस. No.245 घोषित किया गया था और संपत्तियों पर शुल्क लगाया गया था।वादी अपने पति का एक मित्र और सहयोगी था जो रखरखाव के मुकदमे के बारे में पूरी तरह से जानता था और रखरखाव के दावे को विफल करने के लिए, वादी और उसके पति ने मिलीभगत से 9.11.1974 दिनांकित एक नाममात्र और काल्पनिक बिक्री विलेख का आयोजन किया।उक्त बिक्री विलेख को ऋण पत्र के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किया गया था और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में 'टीपी अधिनियम') की धारा 52 द्वारा प्रभावित किया गया था।उसने निष्पादन में अदालत की नीलामी के माध्यम से संपत्ति खरीदी थी।शिकायत में किए गए अन्य कथनों का भी खंडन किया गया।19.10.1981 पर वादी और प्रतिवादी संख्या 1, सिद्दगिरीगौड़ा के बीच एक समझौता याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बयान में वादी के खिलाफ स्थापित मामले को वापस लेने की मांग की थी।

12. प्रतिवादी संख्या 2, थोपम्मा ने 5.3.1987 पर अपने लिखित बयान में संशोधन करते हुए तर्क दिया कि वादी एक कृषक नहीं था।वे कपड़े, सोने और चांदी के आभूषणों के व्यवसाय में लगे हुए थे।इस प्रकार, वह दिनांक 9.11.1974 के बिक्री विलेख के माध्यम से कृषि भूमि खरीदने का हकदार नहीं था।

13. इसके बाद, प्रामाणिक खरीदार की याचिका को मूल्य के लिए स्थापित करने के लिए शिकायत में संशोधन किया गया था, जिसे थोपम्मा ने अपने अतिरिक्त लिखित बयान में अस्वीकार कर दिया था।वादी को 1968 के रखरखाव मुकदमे के लंबित होने की जानकारी थी।

14. 23.6.1995 पर, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक झटका लिया और एक जवाबी दावा दायर किया कि बिक्री विलेख नाममात्र और काल्पनिक था और वह पुनः हस्तांतरण विलेख को निष्पादित करने के लिए तैयार था।वादी ने प्रतिवाद पर आपत्तियाँ दायर कीं कि यह बनाए रखने योग्य नहीं था, सीमा द्वारा वर्जित था और वादी समझौता करने के बाद प्रतिवाद दायर करने का हकदार नहीं था।

15. 7.11.1996 पर, थोपम्मा ने रुपये 2,20,000 के विचार के लिए बिक्री का एक पंजीकृत विलेख निष्पादित किया-सिद्धगंगैया, प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में।प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु 25.10.1998 पर हुई।इसके बाद, 17.2.2000 पर तोपम्मा की भी मृत्यु हो गई।

16. खरीदार सिद्दगंगैया, आरोपित प्रतिवादी संख्या 3 ने 1989 के ओ. एस. No.85 में एक लिखित बयान दायर किया जिसमें तर्क दिया गया कि वह मूल्य के लिए एक प्रामाणिक खरीदार था।तोपम्मा ने दिनांक 5.10.1977 की नीलामी में संपत्तियों को खरीदा था।बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया और कब्जा 29.1.1979 को सौंप दिया गया।वादी द्वारा दायर आदेश XXI नियम 90 के साथ पठित धारा 47 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।वादी ने अदालत द्वारा थोपम्मा के पक्ष में की गई नीलामी बिक्री को चुनौती नहीं दी थी।वादी आदेश XXI नियम 90 के तहत अपने आवेदन की अस्वीकृति से अच्छी तरह वाकिफ था।उन्होंने उक्त बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की और इस तथ्य को दबाने के लिए एक मुकदमा दायर किया, यह विचारणीय नहीं था।

17. निचली अदालत ने 5.1.2007 के फैसले और डिक्री द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी संपत्तियों का पूर्ण स्वामी नहीं था और धारा 47 के साथ पठित आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई।दायर किए गए उक्त आवेदन के साथ-साथ इसकी बर्खास्तगी के संबंध में शिकायत में दलीलें चुप थीं, इसके अलावा आस-पास के मालिकों की जांच नहीं की गई थी। अदालत द्वारा नीलामी बिक्री पर शिकायत में सवाल नहीं उठाया गया था। बिक्री टी. पी. अधिनियम की धारा 52 द्वारा प्रभावित हुई थी और मुकदमे को अदालत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।वादी ने पहली अपीलीय अदालत में 2009 की आर. ए. No.123 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी।अपील को निर्णय और डिक्री दिनांक 4.11.2011 के माध्यम से अनुमति दी गई थी।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. एस. पेंडेंस लागू नहीं था।बिक्री की पुष्टि हुई और धोखाधड़ी और मिलीभगत से आरोप लगाया गया।आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन को उपस्थिति की चूक में खारिज कर दिया गया था न कि एक बोलने वाले आदेश द्वारा योग्यता के आधार पर।पहली अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ, एक नियमित दूसरी अपील दायर की गई थी और उसी को 18.12.2014 के फैसले और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान अपील।

बी.

18. अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू राम चंद्रन ने आग्रह किया कि आदेश XXI नियम 90 सी. पी. सी. के तहत धारा 47 सी. पी. सी. के साथ पठित आवेदन को खारिज किए जाने के मद्देनजर मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत से प्रभावित था, इसे विचारणीय नहीं कहा जा सकता है।आवेदन को 31.3.1978 पर उपस्थिति की चूक में खारिज कर दिया गया था।अदालत द्वारा आयोजित नीलामी बिक्री को चुनौती नहीं दी गई थी।यह अंतिम रूप ले चुका है।घोषणा और कब्जे के लिए अलग मुकदमे को बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है।

19. यह भी आग्रह किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2, तोपम्मा के पक्ष में डिक्री ने अंतिमता प्राप्त की और आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन को खारिज करना मुकदमे के मनोरंजन पर रोक के रूप में काम करता है।वादी अदालत में साफ हाथों से नहीं आया था और उसने अदालत द्वारा आयोजित आवेदन और नीलामी को खारिज करने के भौतिक तथ्य को दबा दिया था। हालाँकि यह आग्रह किया गया था कि 1974 में बिक्री लिस पेंडेंस से प्रभावित हुई थी।संपत्ति 1974 में खरीदी गई थी जबकि मुकदमा 1968 में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रखरखाव और अनुसूची संपत्तियों पर शुल्क के निर्माण के संबंध में दायर किया गया था।बिक्री स्पष्ट रूप से टी. पी. अधिनियम की धारा 52 में निहित प्रावधानों के अधीन थी। लिस ने शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख से शुरुआत की।वादी को बिना किसी सूचना के एक प्रामाणिक खरीदार नहीं कहा जा सकता था।वह इस बात से अवगत था कि यह मुकदमा तोपम्मा के पति का दोस्त है और उसने आदेश XXI नियम 90 के तहत एक आवेदन भी दायर किया था।तथाकथित बिक्री विलेख के तहत उसे कब्जा नहीं सौंपा गया था।उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि

आरोप मुकदमे में डिक्री की तारीख को बनाया गया था।, 1968 का ओएस No.245।उच्च न्यायालय ने हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, "अधिनियम") के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की है और न ही टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों पर उचित रूप से विचार किया गया है।

20. प्रत्यर्थीगणओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एस. नागानंद ने तर्क दिया कि आरोप केवल 1968 के ओ. एस. No.245 में 24.6.1976 पर डिक्री की तारीख को बनाया गया था।1974 में बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख पर कोई आरोप नहीं था।टी. पी. अधिनियम की धारा 39 और 100 को ध्यान में रखते हुए कि वादी एक प्रामाणिक खरीदार था, उसके द्वारा धारित संपत्तियों के खिलाफ आरोप लागू नहीं किया जा सकता था।पूर्ण शीर्षक बता दिया गया था।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 27 और 28 पर भी भरोसा किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि यह केवल एक डिक्री है जो एक आरोप लगाती है जो एक प्रामाणिक खरीदार के खिलाफ भी नहीं है।तोपम्मा के लिए वादी द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं था।यह आगे तर्क दिया गया कि अदालत ने 5.10.1977 पर नीलामी आयोजित की और बिना किसी बोलने वाले आदेश के यांत्रिक तरीके से 31.3.1978 पर इसकी पुष्टि की, दिनांकित 9.11.1974 के बिक्री विलेख की अनदेखी करते हुए, डिक्री धारक निष्पादन अदालत को बिक्री विलेख के निष्पादन के तथ्य का खुलासा करने के लिए बाध्य था। पति और पत्नी ने विचार के लिए प्रामाणिक खरीदार के अधिकार को विफल करने के लिए मिलीभगत और धोखाधड़ी से काम किया था।डिक्री धारक श्रीमती. थोपम्मा ने चुनिंदा रूप से वाद संपत्ति की चार वस्तुओं को चुना था जिसमें वादी द्वारा 9.11.1974 पर खरीदी गई विषय संपत्ति भी शामिल थी।चूंकि बिक्री पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था, इसलिए यह बाध्यकारी था।निचली अदालत द्वारा मुकदमे को खारिज करना अवैध था।आवेदन को आदेश XXI नियम 90 के तहत खारिज कर दिया गया था।गुण-दोष के आधार पर इसका कोई निर्णय नहीं था। अतः, श्रीमती. थोपम्मा यह साबित करने में विफल रही कि उसे अदालत की नीलामी दिनांक 5.10.1977 और बिक्री की पुष्टि के तहत संपत्ति का एक वैध अधिकार मिला।न्याय ऋणी, पति ने 1968 के भरण-पोषण मामले में डिक्री को अपील में चुनौती दी थी और 5,000/- रुपये जमा किए जाने पर रोक लगा दी गई थी, जो जमा नहीं किया गया था।इस प्रकार, इस प्रकार आयोजित नीलामी को वैध नहीं कहा जा सकता है।5.10.1977 पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के लिए कोई नई बिक्री घोषणा जारी नहीं की गई थी, अदालत से नए बिक्री आदेश प्राप्त करना आवश्यक था।बिक्री अमान्य थी।चूंकि सिद्दगिरीगौड़ा का उस संपत्ति में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था, जिसके लिए अदालत द्वारा नीलामी की गई थी, इसलिए अदालत द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करने पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि नानी में कहा गया है।

गोपाल पॉल बनाम टी. प्रसाद सिंह और अन्य। (1995) 3 एससीसी 579।अदालत ने

अदालती बिक्री का संचालन करते समय की गई स्पष्ट अवैधता को देखते हुए मूक दर्शक नहीं हो सकता है।प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष हैं कि निष्पादन में की गई बिक्री धोखाधड़ी और मिलीजुली थी।ए के निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं तथ्य सामने आ गया है।डिक्री धारक के पति ने 31.3.1978 पर आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन वापस ले लिया था।तोपम्मा के अलावा कोई अन्य बोलीदाता नहीं थे।वादी द्वारा दायर आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।आदेश गुण-दोष पर नहीं था।इस प्रकार, सूट के मनोरंजन पर कोई रोक नहीं थी।अपीलार्थी का दावा गलत था क्योंकि डिक्री-धारक तोपम्मा के पति ने एन. के. गिरिराज शेट्टी के तहत किरायेदार होने का दावा करते हुए फॉर्म 7 में एक घोषणा दायर की थी, जिसे भूमि न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 24.8.1981 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। यह माना गया कि कोई किरायेदारी नहीं थी और उन्होंने संपत्ति एन. के. गिरिराज शेट्टी को बेच दी थी।थोपम्मा के प्रतिवादी नंबर 1 पति ने एन. के. गिरिराज शेट्टी के पक्ष में एक समझौता याचिका दायर की थी और बाद में एक जवाबी दावा दायर किया था जो सिद्धगिरीगौड़ा और उनकी पत्नी थोपम्मा की मृत्यु के कारण कम हो गया था, और कोई भी उस पर मुकदमा नहीं चलाता था।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 18 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") पर भी यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि ब्याज से अलग होने के बाद, कोई स्वीकार नहीं किया जा सकता था, और आदेश XXI नियम 66 सी. पी. सी. का गैर-अनुपालन था, और वादी द्वारा नियम 90 सी. पी. सी. के तहत आवेदन आदेश दाखिल करना अनियमितताओं को स्वीकार करने का गठन नहीं करेगा और उन्हें ठीक नहीं किया गया था।वादी उस डिक्री का हकदार था जो उचित रूप से दी गई है।अपील में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

22. विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या वादी द्वारा आदेश XXI नियम 90 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने के कारण, वर्तमान मुकदमे को विचारणीय कहा जा सकता है। तथ्य इस बात पर विवाद में नहीं है कि अदालत द्वारा नीलामी आयोजित करने के बाद, वादी द्वारा आदेश XXI नियम 90 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, इसे 31.3.1978 पर उपस्थिति के चूक में खारिज कर दिया गया था।आदेश XXI नियम 90 सी. पी. सी. यहाँ नीचे निकाला गया हैः

"[आर**. 90.**अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को अलग रखने के लिए आवेदन।**-**

(1) जहां किसी डिक्री के निष्पादन में किसी अचल संपत्ति को बेचा गया है, वहां डिक्री धारक, या खरीदार, या परिसंपत्तियों के दर योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार कोई अन्य व्यक्ति, या जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं, उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।

(2) किसी भी बिक्री को प्रकाशन या संचालन में अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर अलग नहीं रखा जाएगा, जब तक कि, साबित तथ्यों पर, न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण आवेदक को काफी चोट लगी है।

(3) इस नियम के तहत बिक्री को अलग रखने के लिए किसी भी आवेदन पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा जो आवेदक उस तारीख को या उससे पहले ले सकता था जिस दिन बिक्री की घोषणा की गई थी।

स्पष्टीकरण-बेची गई संपत्ति की केवल अनुपस्थिति या कुर्की में दोष, इस नियम के तहत बिक्री को अलग करने का आधार नहीं होगा।] "

23. आदेश 21 नियम 90 के उप-नियम (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी डिक्री के निष्पादन में किसी अचल संपत्ति को बेचा गया है, तो डिक्री धारक या खरीदार या संपत्ति के अनुमोदन योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार कोई अन्य व्यक्ति, या जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं, उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।जैसा कि आदेश XXI के नियम 90 के उप-नियम (2) में केवल अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर प्रदान किया गया है, बिक्री को तब तक अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण आक्षेपकर्ता को पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ है और ऐसी आपत्ति वह होनी चाहिए जो उस तारीख से पहले नहीं उठाई जा सकती थी जिस दिन बिक्री की घोषणा की गई थी जैसा कि आदेश XXI नियम 90 उप-नियम (3) में प्रदान किया गया है और केवल दोष या संपत्ति की कुर्की का अभाव बिक्री को अलग करने का आधार नहीं होगा।यह साबित करना आवश्यक है कि जहां धोखाधड़ी या भौतिक अनियमितता हुई है और जिससे अन्याय हुआ है, वहां काफी नुकसान हुआ है।

राजेन्द्र सिंह बनाम रामधर सिंह और अन्य, आकाशवाणी में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित

2001 एस. सी. 2220 ने कहा कि केवल कीमत की अपर्याप्तता अदालत की बिक्री को दरकिनार करने का आधार नहीं है।वर्तमान मामले में, आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन मूल वादी द्वारा दायर किया गया था जिसे उपस्थिति में चूक के लिए खारिज कर दिया गया था। फिर भी यह इस तरह से दायर आवेदन को खारिज कर रहा था।यह मामला स्थापित नहीं किया गया था कि रखरखाव के मामले में पारित डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी और इससे काफी नुकसान हुआ है।24. जहां सामग्री अनियमितता के आधार पर बिक्री को अलग करने के लिए नियम 90 आदेश XXI सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, और आदेश XXI के नियम 92 (1) के तहत बिक्री की पुष्टि की गई है, तो आक्षेपकर्ता को आदेश XXI नियम 92 (3) के तहत प्रावधानों के आधार पर उसी आधार पर बिक्री को अलग करने के लिए मुकदमा लाने से रोक दिया गया है जैसा कि ब्रह्मय्या बनाम अप्पय्या, (1921) 44 मैड में आयोजित किया गया था। 351 = 62 आईसी 203 = एआईआर 21 मैड। 121, मा.

साव बनाम मौंग क्याव, आकाशवाणी 28 रंग 18; नंद किशोर बनाम सुल्तान, आकाशवाणी

25. जब नीलामी खरीदार स्वयं डिक्री धारक होता है और जब नियम 90 के अंतर्गत आने वाले आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर बिक्री को अलग करने के लिए आवेदन किया जाता है और नियम 89 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है, तो मामला धारा 47 के तहत आएगा जैसा कि सुपीरियर बैंक लिमिटेड बनाम.बुध सिंह, (1924) 22 ऑल एलजे 413; अक्षिया बनाम गोविंदराजुलु (1924) 47 एमएलजे 549।इस प्रकार, यह उन आधारों पर निर्भर करेगा जिन पर आवेदन में आग्रह किया गया है।आदेश XXI, नियम 90 के तहत भौतिक अनियमितता के आधार पर बिक्री को अलग करने के दावे में शामिल होने की अनुमति है, जिसमें धारा 47 के तहत दावा किया गया है कि बिक्री एक शून्य है क्योंकि डिक्री निर्णय-देनदार की मृत्यु के बाद पारित की गई थी।मृतक निर्णय-ऋणदाता के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति कि भूमि पैतृक संपत्ति थी और बिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं थी, आदेश XXI नियम 90 के साथ पठित धारा 47 के तहत उठाई जा सकती है।हालाँकि, यह आपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि क्या यह आदेश XXI सी. पी. सी. के नियम 90 के तहत शामिल था या नहीं।आदेश XXI नियम 90 के तहत दायर चूक के लिए खारिज की गई याचिका की बहाली हो सकती है और उसके बाद यदि बिक्री की पुष्टि हो गई है, तो आदेश XXI नियम 92 (3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नियम 92 (1) के तहत दिए गए आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई भी मुकदमा किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जाएगा जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।आदेश XXI नियम 92 (1) में प्रावधान है कि जहां आदेश XXI नियम 89,90 या 91 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, उसे अस्वीकार कर दिया गया है, तो अदालत बिक्री की पुष्टि करते हुए एक आदेश देगी और उसके बाद बिक्री निरपेक्ष हो जाएगी, और कोई भी मुकदमा आदेश XXI सी. पी. सी. के नियम 92 के उप-नियम (3) के अधिदेश के अनुसार नहीं होगा, जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश या तो किया जा सकता है जहां बिक्री को अलग करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां कोई आवेदन किया गया है और इसकी अनुमति नहीं है, वह यह हो सकता है कि इसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया हो। बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश को दरकिनार करने के लिए किसी भी मामले में कोई मुकदमा नहीं होगा।बिक्री को अलग रखने से इनकार करना एक अपील योग्य आदेश है।यदि अदालत ने किसी बिक्री को दरकिनार कर दिया है या उसे दरकिनार करने से इनकार कर दिया है जिसमें एक ऐसा मामला शामिल होगा जिसमें आदेश XXI नियम 89,90 या 91 के तहत एक आवेदन को चूक के लिए खारिज कर दिया गया है।

26. तत्काल मामले में स्वीकार किया जाता है कि मूल वादी द्वारा धारा 47 के साथ पठित आदेश एक्सएक्सआई, नियम 90 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, इस आधार पर कि वह उस भूमि का मालिक था जिसे 9.11.1974 दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा Rs.10,000/- की राशि के लिए खरीदा गया था और उसे कब्जे में रखा गया था।उन्हें अदालत की बिक्री के बारे में पता नहीं था।नीलामी आयोजित होने से पहले ढोल की बजाई नहीं होती थी।उन्हें फांसी की कार्यवाही के बारे में पता नहीं था। वह मूल्य के लिए एक खरीदार था। संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया गया था।बिक्री के संचालन में भौतिक अनियमितताएँ थीं।

नीलामी की पुष्टि होने पर कठिनाई होगी।इस प्रकार, नीलामी बिक्री को अलग रखने की प्रार्थना की गई।उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था।इस प्रकार, आदेश XXI नियम 92 (3) जमीन पर ताजा सूट के मनोरंजन के लिए एक बार के रूप में काम करेगा।

27. वादी ने वाद में अदालती नीलामी बिक्री और पुष्टि के तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया है और कोई दावा नहीं किया है कि उसने आदेश XXI नियम 90 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया था और इसे 31.3.1978 पर खारिज कर दिया गया था, जबकि आपत्ति को खारिज करने और बिक्री की पुष्टि के 19 दिनों के बाद 19.4.1978 पर मुकदमा दायर किया गया था। वादी ने धोखाधड़ी या किसी भौतिक अनियमितता के आधार पर अदालत द्वारा आयोजित नीलामी पर सवाल नहीं उठाया है।उन्होंने खुद को एक प्रामाणिक खरीदार होने का दावा किया है।यह याचिका आदेश XXI नियम 90 के तहत दायर आवेदन में भी उठाई गई थी।उसी को खारिज करने से वह एक नया मुकदमा दायर करने से वंचित हो जाएगा, यह उसके लिए अनिवार्य था कि वह नए सूट के मनोरंजन के लिए आवश्यक किसी भी अनुमेय आधार पर अदालत की नीलामी पर सवाल उठाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।आदेश XXI नियम 90 के तहत आने वाले आधारों को तत्काल मामले में नहीं उठाया जा सकता है।शिकायत में धोखाधड़ी या मिलीभगत की कोई दलील नहीं दी गई है।इस प्रकार, पहली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने दलीलों से परे जाकर यह निष्कर्ष निकाला है कि नीलामी की बिक्री धोखाधड़ी और मिलीभगत से की गई थी।आदेश VI नियम 4 सी. पी. सी. में यह प्रावधान किया गया है कि धोखाधड़ी, गलत निरूपण और मिलीभगत की याचिका को अभिवचनों में विशेष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि उस पर कोई निष्कर्ष दिया जा सके।याचिका की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो स्वयं नहीं लिया गया था, न ही इसकी पुष्टि की गई है।इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस प्रकार आयोजित अदालती नीलामी में डिक्री धारक और निर्णय देनदार की धोखाधड़ी और मिलीभगत के संबंध में निष्कर्ष देकर घोर अवैधता की है।

28. डिक्री धारक तोपम्मा द्वारा की गई नीलामी खरीद को अंतिम रूप मिल गया था।वादी द्वारा बिक्री की पुष्टि पर सवाल नहीं उठाया गया था।इस प्रकार, कोई राहत नहीं दी जा सकती थी और पहले के आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं और नए सूट के मनोरंजन के लिए एक बाधा के रूप में काम करते हैं।

29. लिस पेंडेंस के सवाल पर आते हुए, श्रीमती। तोपम्मा ने अन्य बातों के साथ-साथ रखरखाव का प्रभार बनाने के लिए 1968 में मुकदमा दायर किया था।

विचाराधीन संपत्तियों पर।टी. पी. अधिनियम की धारा 52 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही की लंबितता को वाद प्रस्तुत करने की तारीख से शुरू माना जाएगा।इस प्रकार, 9.11.1974 पर बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख को, तोपम्मा द्वारा दायर मुकदमा लंबित था।इस प्रकार, धारा 52 में निहित प्रावधान

यह स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होगा।नागुबाई अम्मल और अन्य बनामबी. शमा

राव और ओआरएस। ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 593 इस न्यायालय ने कहाः"9. इस प्रश्न पर, चूंकि आरोप के लिए अनुरोध करने वाले 1919-20 के O. S. संख्या 100 में शिकायत 6-6-1919 पर प्रस्तुत की गई थी, डॉ. नंजुंडा राव को उसके बाद 30-1-1920 पर की गई बिक्री प्रथम दृष्टया संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 की शरारत के दायरे में आएगी, और आरोप डिक्री के निष्पादन में 2-8-1928 पर देवम्मा द्वारा की गई खरीद से प्रभावित होगी।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के. एस. कृष्णस्वामी अय्यंगार ने हमारे समक्ष इस तर्क पर जोर नहीं दिया कि जब किसी वाद को दरिद्रता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह उस समय शुरू होता है जब इसे स्वीकार किया जाता है और एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाता है, जो इस मामले में 17-6-1920 पर था, प्रदर्शनी VI के तहत बिक्री के बाद-एक विवाद जो धारा 52 के स्पष्टीकरण की स्पष्ट भाषा के सीधे विरोध में था।और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब रखरखाव के लिए एक मुकदमा दायर किया जाता है और एक प्रार्थना होती है कि उस पर निर्दिष्ट संपत्तियों पर आरोप लगाया जाए, तो यह एक ऐसा मुकदमा है जिसमें अचल संपत्ति के अधिकार पर सीधे सवाल उठाया जाता है, और यह मुकदमा शिकायत की तारीख से शुरू होता है, न कि डिक्री की तारीख से, जो आरोप बनाता है।

लेकिन वह तर्क देता है कि निचली अदालतों का निर्णय कि दिनांकित बिक्री विलेख धारा 52 द्वारा प्रभावित है, निम्नलिखित तीन आधारों पर खराब हैः(1) लीस पेंडेंस का प्रश्न अभिवचनों में नहीं उठाया गया था, और वादी के लिए खुला नहीं है।(2) रखरखाव के लिए मुकदमा, 1919-20 का O. S. नंबर 100 और उसमें पारित डिक्री के निष्पादन में बिक्री सभी मिली-जुली हैं, और धारा 52 का तदनुसार कोई आवेदन नहीं है।(3) देवम्मा द्वारा 2-8-1928 पर 1919-20 के O. S. संख्या 100 में डिक्री के निष्पादन में खरीद अमान्य और निष्क्रिय है, क्योंकि आधिकारिक रिसीवर जिसमें केशवानंद की संपत्ति 19-2-1926 पर निहित थी, बिक्री कार्यवाही का पक्षकार नहीं था।इन तर्कों पर अब विचार किया जाना चाहिए।"(जोर हमारा है)

30. लीस पेंडेंस के बारे में, इस न्यायालय ने माना है कि रियायत सही दी गई थी, जिसके बाद कानूनी प्रस्ताव रखा गया था।बिक्री स्पष्ट रूप से टी. पी. अधिनियम की धारा 52 में निहित प्रावधानों के अधीन थी। 31.प्रत्यर्थीगणओं की ओर से, टी. पी. अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों पर निर्भरता रखी गई है जो हस्तांतरण से संबंधित है जहां कोई तीसरा व्यक्ति भरण-पोषण का हकदार है।यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो अधिकार को हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ लागू किया जा सकता है जिसके पास इसकी सूचना है या यदि हस्तांतरण अनावश्यक है लेकिन विचार के लिए और अधिकार की सूचना के बिना

हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ नहीं है।धारा 39 स्पष्ट रूप से बताती है कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा धारण की गई अचल संपत्ति के खिलाफ रखरखाव का प्रभार लागू किया जा सकता है।तत्काल मामले में, हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति के कब्जे में नहीं रखा गया था जो वादी से स्पष्ट है और प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा जारी है।यह बिक्री भी उचित नहीं लग रही है।यह स्पष्ट था कि भरण-पोषण के लिए पत्नी के दावे को विफल करने के इरादे से कब्जा नहीं सौंपा गया था।वादी का मामला कि हालांकि बिक्री विलेख 1974 में निष्पादित किया गया था, प्रतिवादी संख्या 1 ने फिर से 1976 में जबरन कब्जा कर लिया, स्वीकृति के योग्य नहीं है।इसके अलावा आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन में यह अनुरोध नहीं किया गया है कि वह 9.11.1974 पर बिक्री विलेख के निष्पादन के समय मुकदमे के लंबित होने के बारे में नहीं जानता था।वह प्रतिवादी नंबर 1 का करीबी दोस्त था और स्पष्ट रूप से 1968 से लंबित मुकदमेबाजी के तथ्य से अवगत था।इस प्रकार, उन्हें एक प्रामाणिक खरीदार नहीं कहा जा सकता था।इसके अलावा, उक्त याचिका वाली धारा 47 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश XXI नियम 90 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया।

32. रिलायंस को टी. पी. अधिनियम की धारा 100 में निहित प्रावधानों पर भी रखा गया है जिन्हें लागू नहीं कहा जा सकता है।धारा 100 में प्रावधान है कि कानून के संचालन से एक व्यक्ति की संपत्ति को दूसरे को भुगतान के लिए धन की प्रतिभूति बनाया जाता है।कहा जाता है कि बाद वाले व्यक्ति के पास संपत्ति पर शुल्क होता है।हालाँकि, कोई शुल्क उन लोगों के हाथों में नहीं होगा जिन्हें ऐसी संपत्ति विचार के लिए और बिना किसी सूचना के हस्तांतरित की गई है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, N.K.Giriraja शेट्टी को एक प्रामाणिक खरीदार नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, यह स्पष्ट रूप से टी. पी. अधिनियम की धारा 52 में निहित प्रावधानों के अधीन था। इसके अलावा आदेश XXI नियम 90 के तहत आपत्ति खारिज कर दी गई।इस प्रकार, उन्हें नीलामी बिक्री और इसकी पुष्टि के बारे में पता था, जिस पर उन्हें सवाल उठाना चाहिए था।33. रिलायंस को अधिनियम की धारा 27 पर भी रखा गया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अधिनियम के तहत रखरखाव ए पर शुल्क नहीं होगा।

मृतक की संपत्ति या उसका कोई भी हिस्सा जब तक कि वह मृतक की वसीयत या अदालत की डिक्री द्वारा प्रतिवादी और संपत्ति के मालिक के बीच एक समझौते या किसी अन्य हिस्से द्वारा नहीं बनाया गया हो।यह मृतक की संपत्ति पर आरोप लगाने का मामला नहीं है।अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।धारा 27 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

"27. रखरखाव जब एक शुल्क होना चाहिए।- इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के लिए एक आश्रित का दावा मृतक की संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर शुल्क नहीं होगा, जब तक कि एक मृतक की इच्छा से, अदालत की डिक्री द्वारा, आश्रित और संपत्ति या हिस्से के मालिक के बीच समझौते द्वारा, या अन्यथा नहीं बनाया गया है।"

34. अधिनियम की धारा 28 पर भरोसा किया गया है, यह प्रावधान करता है कि जहां किसी आश्रित को किसी संपत्ति से रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपत्ति या किसी भी हिस्से को हस्तांतरित किया जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार लागू किया जा सकता है।हालांकि, ऐसे हस्तांतरणकर्ता को विचार के लिए और बिना किसी सूचना के एक प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता नहीं होना चाहिए और इसे बिना किसी सूचना के विचार के लिए हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।अभिलिखित निष्कर्षों को देखते हुए यह प्रावधान कोई मदद नहीं करता है।

35. साधु सिंह बनाम गुरुद्वारा साहिब नरीके और अन्य पर भरोसा रखा गया है। (2006) 8 एस. सी. सी. 75 जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि टी. पी. अधिनियम की धारा 39 का प्रावधान अधिनियम की धारा 28 में निहित प्रावधानों के समान है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में उपरोक्त निर्णय से कोई आधार नहीं लिया जा सकता है।

36. यह भी तर्क दिया गया कि अदालती बिक्री यंत्रवत रूप से की गई थी और बिना किसी आदेश के और आदेश XXI नियम 66 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के बिना पुष्टि की गई थी।शिकायत में ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है और सबूत के अभाव में इसकी जांच नहीं की जा सकती है।बिक्री और इसकी पुष्टि पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 को कब्जे की बिक्री और वितरण के संबंध में पूर्ण दमन है।मूल वादी अदालत में साफ हाथों से नहीं आया था और वह दोषी था यह सच है।

37. यह भी तर्क दिया गया कि यह न्यायालय नानी गोपाल पॉल बनाम टी. प्रसाद सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अवैधताओं पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। (1995) 3 एससीसी 579।यह तर्क दिया गया कि जब गैर -अनिवार्य प्रक्रिया का अनुपालन था, यह न्यायालय एक मूक और असहाय दर्शक नहीं रहेगा और धोखाधड़ी से अदालत की बिक्री का संचालन करते समय की गई प्रकट अवैधता को पूर्ववत करना होगा।इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है।हालाँकि, तत्काल मामले में, किसी भी आधार पर नीलामी की कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं है-अच्छा, बुरा या अन्यथा।साक्ष्य के अभाव और तथ्यों के दमन में, इसकी जांच नहीं की जा सकती है।

38. एक बार जब नीलामी पर सवाल नहीं उठाया गया है और आदेश XXI नियम 92 (3) द्वारा एक बार बनाया गया है, तो इन सभी प्रश्नों को उत्तेजित या आग्रह नहीं किया जा सकता है। वादी अदालत में साफ हाथों से नहीं आया है क्योंकि उसे इस तरह के आग्रह के आधार पर किसी भी राहत का हकदार नहीं कहा जा सकता है।39. रिलायंस को भी इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

लाल चंद बनाम आठवां अतिरिक्त।जिला न्यायाधीश और अन्य। (1997) 4 एससीसी 356

यह तर्क देते हुए कि 5.10.1977 पर नीलामी बिक्री अनियमित थी और शुरुआत से ही अमान्य थी, पति और पत्नी के बीच मिलीभगत और धोखाधड़ी की शुरुआत।हालाँकि अपील में दायर न्यायालय के अंतरिम आदेश पर भी 5,000/- रुपये की जमा राशि का पालन न करने के कारण भरोसा किया गया है, लेकिन संपत्ति को नीलामी में बेचा जा सकता था।बिक्री को धोखाधड़ी, मिलीजुली या शुरू से ही अमान्य नहीं कहा जा सकता है।एक खरीदार होने के नाते, कोई नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था और शेट्टी को मुकदमे और आरोप और बिक्री के बारे में पता था, उन्होंने आदेश XXI नियम 90 सी. पी. सी. के तहत आपत्तियां दायर कीं और उन पर मुकदमा चलाने में विफल रहे।लाल चंद (ऊपर) में इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि आदेश XXI नियम 72 के प्रावधान अनिवार्य हैं और किसी भी डिक्री धारक को अदालत की अनुमति के बिना नीलामी में बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं है।हालांकि, तत्काल मामले में अनुमति दी गई थी और नीलामी में रखरखाव की घटती राशि के खिलाफ सेट ऑफ किया गया था।Rs.11,600 की राशि देय थी जो प्रासंगिक समय पर एक बड़ी राशि थी।यह मामला स्थापित नहीं किया गया था कि बिक्री को आदेश 21 नियम 66 और 67 सी. पी. सी. में निहित प्रावधानों के अनुसार कानून के अनुसार अधिसूचित नहीं किया गया था।

40. रिलायंस को साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 पर भी रखा गया है। तत्काल मामले में, पति और पत्नी के बीच निष्पादन कार्यवाही में किए गए ब्याज के साथ अलग होने के बाद कोई स्वीकार नहीं किया जाता है।नीलामी अदालत द्वारा कानून के अनुसार आयोजित की गई थी।यह मामला स्थापित नहीं किया गया था कि रखरखाव मुकदमे में पारित डिक्री धोखाधड़ी या मिलीभगत पर आधारित थी।न ही डिक्री के निष्पादन में संपत्तियों की नीलामी के संबंध में ऐसा कोई मामला स्थापित किया गया था।

इसके विपरीत, पति ने भरण-पोषण मामले में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील की थी, जिसे गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था।साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 में कहा गया हैः

"18. कार्यवाही में पक्ष या उसके एजेंट द्वारा प्रवेश।कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा या किसी ऐसे पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा दिए गए कथन, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में, जैसा कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से उन्हें बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, स्वीकार किए जाते हैं।

प्रतिनिधि चरित्र में प्रेमी द्वारा।- मुकदमों के लिए पक्षों द्वारा दिए गए बयान, एक प्रतिनिधि चरित्र में मुकदमा या मुकदमा, प्रवेश नहीं हैं, जब तक कि वे तब तक नहीं किए गए थे जब तक कि उन्हें बनाने वाले पक्ष ने उस चरित्र को धारण नहीं किया था।

द्वारा दिए गए वक्तव्य -

(1) विषय-वस्तु में रुचि रखने वाला पक्ष।..जिन व्यक्तियों का कार्यवाही के विषय में कोई स्वामित्व या आर्थिक हित है, और जो इस तरह के इच्छुक व्यक्तियों के अपने चरित्र में बयान देते हैं, या

(2) वह व्यक्ति जिससे ब्याज प्राप्त होता है।..जिन व्यक्तियों से वाद के पक्षकारों ने वाद के विषय में अपनी रुचि प्राप्त की है,

प्रवेश हैं, यदि वे बयान देने वाले व्यक्तियों के हित की निरंतरता के दौरान किए जाते हैं।"

इस प्रकार, ब्याज से अलग होने के बाद, अलग किए गए ब्याज के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं है, प्रावधान तत्काल मामले की तथ्य-स्थिति में आकर्षित नहीं होता है। 5.8.1978 पर पति और पत्नी के बीच किए गए तथाकथित समझौते को दोनों में से किसी ने भी सेवा में नहीं लगाया है और पति और पत्नी दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया है।उन्होंने एक मामला स्थापित किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा इसके आधार पर कोई दावा किया गया था।यदि ऐसा होता तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाता।

41. रिलायंस को भी इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

V.Swarajyalaxmi और ओआरएस. वी.अधिकृत अधिकारी, भूमि सुधार, आकाशवाणी

2003 एस. सी. 2347 इस आधार को उठाने के लिए कि अदालत की बिक्री की तारीख पर प्रतिवादी संख्या 1 का संपत्ति में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था।

इस प्रकार बिक्री अपने आप में अमान्य और दूषित हो गई।निर्णय आकर्षित नहीं किया जाता है क्योंकि संपत्ति पर शुल्क लगाया गया था और खरीद परिसीमन के दौरान की गई थी और यह धारा 52 में निहित प्रावधानों के अधीन थी।लेनदेन को बिना किसी सूचना के प्रामाणिक खरीद और मुकदमे के लंबित होने के बारे में नहीं कहा जा सकता था।इसके अलावा नीलामी के संबंध में दायर आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और मुकदमे में नीलामी पर सवाल नहीं उठाया गया है।इस प्रकार, स्थापित याचिका में मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है।

42. प्रत्यर्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि भूमि सुधार अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा N.K.Giriraja शेट्टी का किरायेदार होने का दावा किया गया था।जो झूठा दावा किया गया है वह वादी का कारण नहीं है क्योंकि नीलामी पहले ही 1977 में आयोजित की जा चुकी थी और 1979 में इसकी पुष्टि हुई थी।इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबी दावा दायर करने और इसके उपशमन से वादी का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि वादी को कब्जे की वसूली के लिए मामले में अपने अधिकार के बल पर सफल होना पड़ता है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या 1 ने एक प्रतिवाद दायर किया कि हस्तांतरण नाममात्र और

काल्पनिक था और यह ऋण का लेन-देन था, उसी की बर्खास्तगी वादी के मामले को आगे नहीं ले जाती है।चूंकि संपत्ति अदालत की नीलामी के अधीन थी जिस पर उनके द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था।इस प्रकार, उसने संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित, यदि कोई हो, खो दिया है।

43. परिणामस्वरूप, हम निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उचित पाते हैं।इसे पहली अपीलीय अदालत ने अवैध रूप से दरकिनार कर दिया है।उच्च न्यायालय ने भी अस्वीकार्य आधारों पर दूसरी अपील को खारिज करने में गलती की है।इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, होने के योग्य है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और वादी के मुकदमे को खारिज करने का आदेश दिया जाता है।निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाता है।इन शर्तों में अपील की अनुमति है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी संबंधित लागत वहन करनी होगी, जैसा कि खर्च किया गया है।

देविका गुजराल की अपील को मंजूरी दी गई।